1128

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मुरलीगंज
जिला– मधेपुरा

S.S (UPM)

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र
28 JUL 2016
प्राप्ति तिथि
★ बिहार, पटना ★

महाशय,

नगर पंचायत, मुरलीगंज के वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 64 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
29 JUL 2016
संख्या 6788
★ बिहार, पटना ★

भवदीय,

-ह0-
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

338
02/8/16

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14567 / 120 दिनांक– 27–7–16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मधुपेरा

27/7/16
(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

127

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं0— 164/16—17

भाग— 1

प्रस्तावना

1. निरिक्षित कार्यालय का नामः— नगर पंचायत, मुरलीगंज

2. लेखा परीक्षा की अवधिः— 2008—09 से 2014—15

3. लेखा परीक्षा की क्षेत्रः— लेखापरीक्षा में नमूना जॉच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट —I एवं लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट—II पर हैं।

4. लेखा परीक्षा की तिथिः— 23—02—2016 से 29—02—2016

5. **प्रशासन**

क्र0	मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्रीमती जमीला खातून	01.04.2008 से 09.05.2011
2.	श्रीमती अनिता देवी	09.05.2011 से 30.06.2012
3.	श्रीमती सर्जना सिद्धि	30.06.2012 से 31.03.2015

क्र0	उप मुख्य पार्षद का नाम	अवधि
1.	श्री महेश कुमार सर्राफ	01.04.2008 से 09.05.2011
2.	श्री श्वेत कमल	09.05.2011 से 30.06.2012
3.	श्री सुनील कुमार	30.06.2012 से 31.03.2015

क्र0	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01.04.2008 से 24.09.2008
2.	श्री रवि कुमार	25.09.2008 से 20.04.2010
3.	श्री मिथलेश कुमार वर्मा	21.04.2010 से 09.10.2011
4.	श्री अमरेन्द्र कुमार	10.10.2011 से 05.09.2012
5.	श्री चन्द्रकान्त चौवे	06.09.2012 से 22.02.2014
6.	श्री रामवतार यादव	23.02.2014 से 31.03.2015

6. लेखा परीक्षा दल के सदस्यगणः—
   1. श्री रवि कुमार, स0ले0प0अ0
   2. श्री नीरज कुमार, स0ले0प0अ0
   3. श्री नीरज कुमार सिंह, व0ले0प0
   4. श्री अरविन्द कुमार, लेखापरीक्षक

7. निरीक्षण अधिकारी का नामः— श्री बिनोद कुमार —II, व0ले0प0अ0

126

8. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सषक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पष्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक भेजेंगे।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक स्थानीय लेखापरीक्षक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है।

पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही अंकेक्षण को अवगत कराया गया कि अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अनुसार नगर पंचायत द्वारा कितने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सशक्त स्थायी समिति तथा नगर पंचायत बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी।

9. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, मुरलीगंज की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवष्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह कर, मोबाईल टावर तथा सैरातों की वसुली हेतु अपेक्षित प्रयास की आवश्यकता थी। नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि इन अभिलेखों का संधारण करवाया जाए। निकाय कार्यालय द्वारा सरकारी अनुदानों की राशि को अवरोधित रखने की की प्रवृत्ति पायी गयी तथा अनुदानों का पूर्ण उपयोग नही किया जा रहा था। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के अनुपालन में लेखाओं का संधारण नहीं किया गया था। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखाओं का संधारण नियमानुकूल किया जाए।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई :— हाँ

11 लेखापरीक्षा का परिणाम :— अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि— 175500

वसूली हेतु सुझाई गई राशि— 1672621

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि— 456709

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0— IX पर है।

.12 बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा। उक्त अधिनियम की धारा 84 के अनुसार उसे सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं समिति उसमें यथोचित संशोधन कर सकेगी। 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। नगर पंचायत के मामलों में स्वीकृत बजट को उप निदेशक लोकल फंड को भेजा जाएगा जिसे वह 31 मार्च तक वापस कर सकेगा।

नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत किये गये दो वर्षो क्रमश 2013–14 से 2014–15 का बजट प्रति के अवलोकन से यह पता चला के बजट में दर्शाएं गये आय एवं व्यय की राशि रोकड़ बही में उस साल के प्राप्त वास्तविक राशि से काफी भिन्न है, निम्न है–

क्र0 सं0	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15
1	बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	288580502	323560787
2	वास्तविक आय (वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट के अनुसार 9 माह एवं 3 माह का लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार)	90843342 एवं 3716007= 94559349	75836611 एवं 5377495= 81214106
3	**बजट का प्रतिशत**	**32.77 प्रतिशत**	**25 प्रतिशत**
4	बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	289730000	325993000
5	वास्तविक व्यय (वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट के अनुसार 9 माह एवं 3 माह का लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार)	23509572 एवं 2833131= 26342703	16070535 एवं 7225719= 23296254
6	**व्यय का प्रतिशत**	**9.09 प्रतिशत**	**7.15 प्रतिशत**

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रकिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध मात्र पॉच प्रतिशत राशि का ही विचलन (कम/अधिक) मान्य होता है। लेकिन नगर पंचायत, मुरलीगंज द्वारा पारित उक्त वर्षो के बजट प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी अर्थात नगर पंचायत द्वारा पारित बजट काल्पनिक थी।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में संतुलित बजट प्राक्कलन तैयार किया जायगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाये।

13. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम– 82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

नगर पंचायत, मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि वार्षिक लेखा का संधारण किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

14. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत मुरलीगंज के प्रस्तुत किए गए लेखापाल/योजना संबंधित रोकड बहियों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2014–15 का आय व्यय विवरणी तैयार किया गया है।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– III पर)

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. लेखापाल रोकड़ बही को माह अक्टूबर 2011 से कोषागार (सिर्फ वेतन को छोड़कर) से किए गए आय व्यय को संधारित नहीं किया गया है। सिर्फ बैंक से संबंधित आय व्यय को संधारित किया गया है। इस कारण वर्ष 2012–13 इस कार्यालय के द्वारा संधारित किए गए लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार बैंक के आधार पर तथा कोषागार खाता के पासबुक के आधार पर कोषागार रोकड. बही का आय–व्यय विवरणी अलग– अलग तैयार किया गया है।

2. एक ही रोकड़ बही में एस.जे.आर.वाई, नाला, रोड एवं 13 वित्त आयोग मद का संधारण वर्ष 2011 से किया गया था।

3. 13वीं वित्त का रोकड़ बही वर्ष 2011–12 से प्रा0 शेष 902516.00 से शुरू किया हुआ प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 06.09.12 के बाद से सिर्फ बैंक से किए गए आय– व्यय को संधारित किया गया था तथा वर्ष 2014–15 में इस मद के दो संधारित खातों यथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (खाता सं0. 12739) एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं0. 32718988555) के संयुक्त खाता के अनुसार दिसम्बर 14 तक तथा दिनांक 01.01.15 से सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता का रोकड़ बही संधारित था।

4. बी.आर.जी.एफ एवं 12वीं वित्त मद का एक ही रोकड. बही जिसमें दो बैंक खातों यथा बैंक ऑफ इण्डिया (खाता सं0. 584910110012739) एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (खाता सं0. 1008371010003083) का आय– व्यय जो दिनांक 10.10.11 से संधारित था।

5. डी.एफ.आई.डी स्पर का दो अलग– अलग रोकड़ बही जिसमें एक का बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 584910210000031 जो माह जुन 2012 से तथा दूसरा बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या

584910210000038 नवम्बर, 2012 से संधारित था। उपर्युक्त के अलावे कोई अन्य रोकड़ बही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपर्युक्त वर्णित सभी रोकड़ बही का मासिक/वार्षिक अन्त में आय– व्यय का संक्षिप्त सार तथा बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया था।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि लेखा परीक्षा में दिये गये सुझावों के अनुसार मदवार त्रैमासिक/वार्षिक आय– व्यय का संक्षिप्त सार एवं बैंक सामाधान विवरणी तैयार किया जायेगा। साथ ही रोकड़ बही संधारण में पाई गई त्रुटियों का निराकरण हेतु प्रयास किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

15. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निगम प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर पंचायत मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी जिसका विवरण आगे के ज्ञापांको में दिया गया है।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु नगर विकास विभाग से पत्राचार किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– I I (क)– शून्य

भाग– I I (ख)

कंडिका– 1 संचार टावरों का अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसुली नहीं राशि रू 7.56 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

122

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व मे संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर पंचायत पंजीकरण शुल्क के रूप में **रू 30000** प्रति टावर एवं **रू 8000** नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता हे तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर पंचायत मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार 10 संचार मीनार नगर क्षेत्र मे अधिष्ठापित थे।

नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिनांक 31.03.2015 तक 10 अधिष्ठापित संचार मीनार की बकाया राशि **रू 756000** थी। इन संचार मिनारों से बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज की वसूली भी की जाय।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिषिष्ट–IV पर)

उक्त 10 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे लेखा परीक्षा में यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर वसूल की जा रही थी अथवा नहीं।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि संचार टावरों का सर्वेक्षण कराकर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 756000 की वसूली की जाय।

कंडिका– 2 विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं–रू. 02.43 लाख

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ–2 (अनुसूची एक्स एल वी फॉर्म–61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिशत का प्रावधान है।

नगर पंचायत मुरलीगंज के विभिन्न मदों के योजनाओं के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित एकरारनामा के उपबंध 12(a) के अनुसार किसी भी संवेदक के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्य पूर्ण होने के लिए समय विस्तार का आवेदन कार्यालय में समर्पित

करने तथा उसकी संस्वीकृति सक्षम पदाधिकारी के द्वारा देने का कोई साक्ष्य संबंधित संचिका में उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद भी उपबंध 2 के अनुसार संवेदक के द्वारा कार्य पूर्ण करने के निर्धारित समयावधि से विलम्ब होने पर भी कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के लिए उनसे क्षतिपूर्ति राशि रू. 243170 की वसूली नहीं किया गया।

अतः एकरारनामा के निर्धारित प्रपत्र फार्म एफ–2 के नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 के अनुसार कार्य पूर्ण करने में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 243170 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय एवं कृत कार्रवाई से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि संबंधित तकनीकी पदाधिकारी से जॉच कराकर आवश्यक कर्रवाई की जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू. 243170 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिषिष्ट– V पर)

कंडिका– 3 श्रम सेस की कम कटौती

The Building And Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 39 दिनांक 10.06.08 के साथ प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्धसरकारी पत्र सं0 बी.सी.डब्लू. सी. 1/2008 के अनुसार सभी निर्माण कार्य पर किए गए व्यय का 1 प्रतिषत वर्ष 2007–08 से निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा किया जाना निर्देशित था। परंतु, नगर पंचायत के अर्न्तगत क्रियान्वित योजनाओं में यह कटौती कम दर से अथवा नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि श्रम सेस की कटौती हेतु राशि का प्रावधान Schedule of Rates (SOR) में किया गया है, इसके बावजूद कम कटौती किए जाने के फलस्वरूप संवेदक/अभिकर्ताओं को अधिक भुगतान हुआ। अतः उक्त योजनाओं के प्राक्लन के 1 प्रतिशत से कम राशि की कटौती की गयी है। जिसके फलस्वरूप कुल रु 124582 की कम कटौती श्रम सेस मद में किया गया है, जिसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि श्रम सेस की कटौती नियमानुसार कर ली जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई करते हुए रू 124582 की वसूली की जाय।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– V- A पर)

कंडिका– 4 योजनाओं में भैट, रोयल्टी श्रम सेस की कटौती की गयी राशि जमा नहीं

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के साथ पठित संगत नियम 28 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के विपत्र से वैट की कटौती करना अनिवार्य है। कटौती केवल उसी स्थिति में नहीं की जा सकती है जब आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अंचल प्रभारी वाणिज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 41(06) के प्रावधान के अनुसार वैट की कटौती नहीं करने पर भुगतान करने वाले

1120

संस्थान पर निहित कर की राशि की दोगुनी राशि शास्ति (पेनाल्टी) के रूप में अधिरोपित करने का प्रावधान है।

नगर पंचायत मुरलीगंज में चलाये गये विभिन्न योजनाओं में भैट एवं रोयल्टी की राशि की कटौती की गयी थी, परन्तु कटौती की गयी राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया। संलग्न विवरणी के अनुसार कुल कटौती राशि रू **2033706** को सरकारी कोष में नियमानुसार जमा कराया जाय।

भैट कटौती की राशि	रोयल्टी कटौती की राशि	श्रम सेस कटौती की राशि	कुल
1461367	**375679**	**221943**	**2058989**
जिला वाणिज्य कर कार्यालय में जमा किया जाय।	जिला खनन कार्यालय में जमा किया जाय।	कर्मकार कल्याण बोर्ड, पटना में जमा किया जाय।	

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– V-A पर)

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि वैट रॉयल्टी एवं श्रम सेस की कटौती की गई राशि को संबंधित विभाग में जमा करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जायेगा। अतः जबाव के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 5 स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा कम/नहीं होने से सरकार को राजस्व क्षति– रू. 1.20 लाख

इंडियन निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(डी) के अनुसार अचल सम्पत्तियों के बंदोबस्ती निबंधन/पंजीकरण होना आवश्यक है।

इंडियन स्टाम्प एक्ट के सिडयूल I(अ) के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण बंदोवस्ती की राषि के 03 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार सरकार (पत्रांक 1920/रजि0/मु0 सचिव दिनांक 14.08.02) एवं सचिव सह महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन (पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05) के द्वारा सभी विभागों को पूर्व में ही सूचित किया गया है।

मुरलीगंज नगर पंचायत के बंदोवस्ती संबंधित संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि कुल 03 सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2013–14 से शुरू की गई थी जिसमें मालवाहक वाहन प्रवेश शुल्क की बन्दोवस्ती सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2013–14 के मध्य में बंद कर दी गई बाकी दो सैरातों की बन्दोवस्ती तदन्तर की जा रही है वर्ष 2013–14 से 2015–16 में की गई सैरातों की बन्दोवस्ती में बन्दोवस्ती राशि में कार्यपालक पदाधिकारी एवं बंदोवस्तधारी के बीच एकरारनामा नहीं या कम मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक पर किया गया था, निम्न प्रकार से है–

क्र0 सं0	सैरातों का नाम	वर्ष	बंदोवस्ती की राशि	एकरारनामा मुदांक शुल्क (बंदोवस्ती का 3 प्रतिशत)	की गई एकरारनामा की मुद्रांक राशि	कम मुद्रांक राशि	बन्दोवस्तधारी का नाम सर्वश्री
1	गुदडी हाट वसूली	2013–14	661000	19830	200	19630	चन्द्रमणि, पिता स्व0 जय प्रकाश गुप्ता
		2014–15	669000	20070	—	20070	विकास कुमार
		2015–16	711000	21330	—	21330	चन्द्रमणि
2	बस पड़ाव	2013–14	551000	16530	200	16330	विकास कुमार, पिता राज किशोर यादव
		2014–15	530500	15915	—	15915	चन्द्रमणि, पिता स्व0 जय प्रकाश गुप्ता
		2015–16	751000	22530	—	22530	संदीप कुमार
3	मालवाहक प्रवेश शुल्क	2013–14	145500	4365	200	4165	शशि चन्द्र, पिता श्री महेन्द्र प्र0 यादव
योग			**4019000**	**120570**	**600**	**119970**	

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित सैरातों की बंदोवस्ती वन्दोवस्तधारी से एकरारनामा नहीं या कम स्टाम्प पेपर पर होने से सरकार को रू.119970.00 की राजस्व क्षति हुई जिसकी भरपाई जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय। वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में बन्दोवस्ती की एकरारनामा नहीं किए जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि सरकार के निर्देशानुसर संबंधित बन्दोवस्तधारी को मुद्रांक शुल्क की राशि जमा करने हेतु सूचित किया जायेगा। अतः रू 119970 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

कंडिका– 6 हाई मास्ट लाईट लाईट कय पर वैट/आयकर की कटौती नहीं

जिला पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 106–1/जि0श0वि0अभि0, मधेपुरा दिनांक 21.08.10 के अनुसार मुख्य मंत्री नगर विकास योजनान्तर्गत जिला कय समिति के द्वारा मेसर्स माईक्रोटेल कम्प्यूटर लिमिटेड फैज ए अली बिल्डिंग, कबाड़ी गली, एक्जीबिशन रोड, पटना से प्रति ईकाई 395000/– के दर बजाज कम्पनी द्वारा निर्मित 20 मीटर उचाई वाले सभी उपकरणों की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन के लिए आपूर्तिकर्ता नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त निर्देशानुसार नगर पंचायत के द्वारा हाई मास्ट लाईट सिस्टम अधिष्ठापन हेतु क्रय मेसर्स माइक्रोटेल कम्प्यूटर प्रा0लि0 पटना के द्वारा किया गया था जिसके क्रय मूल्य पर अर्थात बिल से, आपूर्तिकर्ता के द्वारा फार्म C-III प्रमाण पत्र व आयकर संबंधी दस्तावेज नहीं दिये जाने के बावजूद भी वैट व आयकर की कटौती नहीं किया गया था जबकि जिलाधिकारी मधेपुरा के द्वारा वैट एवं अन्य अनुमान्य करों की श्रोत पर ही कटौती कर विपत्र का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, निम्न रूप में है–

118

क्र0 सं0	कार्यपालक पदाधिकारी का आदेश	मद	अधिष्ठापन स्थान	बिल सं0/तिथि	मूल्य प्रति इकाई (रू. में)	कुल लागत राशि (रू. में)	वैट मूल्य (दर 5 प्रतिशत) (रू. में)	आयकर (दर 2.26 प्रतिशत) (रू. में)
1	ज्ञापांक 543, तिथि 27.11.10	बी.आर.जी. एफ	1 स्वास्थ्य केन्द्र 2. सिनेमा चौक	24/27.01.2011	395000	790000	39500	17854
2	ज्ञापांक 57 तिथि 19.02.2011	12 वीं वित्त	1. बी.एल.एल.विधालय 2. नगर पंचायत कार्यालय	26/25.02.2011		790000	39500	17854
			कुल योग			1580000	79000	35708

अतः जिलाधिकारी के निर्देश के विरूद्व कुल 04 हाई मास्ट सिस्टम के क्रय पर मेसर्स माइक्रोटेल कम्प्यूटर प्रा0लि0 पटना के बिल से उपर्युक्त वर्णित वैट रू. 79000 एवं आयकर रू.35708 की कटौती नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि जॉचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अतः कार्रवाई करते हुए वैट रू. 79000 एवं आयकर रू. 35708 की अर्थात कुल राशि 114708 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

कंडिका– 7 कम्प्युटर क्रय पर अनियमित व्यय–रू. 02.08 लाख

नगर पंचायत मुरलीगंज के वर्ष 2010–11 में डी0एफ0आई0डी स्पर योजना के तहत कम्प्यूटर क्रय संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दो सेट कम्प्यूटर का क्रय प्राप्त कोटेशन के आधार पर (कम्प्यूटर क्रय के लिए निर्गत आदेश सं0.413 दिनांक 20.08.11 के अनुसार) पर किया गया था जिसमें छिन्नमस्तिका कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 कश्यप अपार्टमेंट कंकड़बाग, पटना का चयन कर क्रय किया गया था। निबंधित आपूर्तिकर्ता से तकनीकी गुणवत्ता/वर्गीकरण सहित कोटेशन प्राप्त करने का मुख्य उददेश्य है कि कीमत सहित उच्च गुणवत्ता/तकनीकी वर्गीकरण संबंधी तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उनमें से कम से कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता/तकनीकी वर्गीकरण वाले सामाग्री प्राप्त किये जाये। परन्तु इसके संचिका के नोटशीट में कोटेशन मांगने संबंधित न तो किसी भी प्रकार का साक्ष्य था और न किसी भी आपूर्तिकर्ता (छिन्नमस्तिका कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 सहित) का कोटेशन उपलब्ध था। अतः इससे स्पष्ट होता है कि बिना कोटेशन प्राप्त किए तथा कीमत व इसके गुणवत्ता/तकनीकी वर्गीकरण सहित तुलनात्मक विवरणी तैयार किए दो सेट कम्प्यूटर का क्रय हेतु छिन्नमस्तिका कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 कश्यप अपार्टमेंट कंकड़बाग, पटना चयन पूर्व सुनियोजित तरीके से तथा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से किया गया था। इनके क्रय बिल पर संस्था अवस्थित होने का किसी भी प्रकार का पता नहीं था।

उक्त आपूर्तिकर्ता छिन्नमस्तिका कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 एक भवन निर्माण संबंधी संस्था है जिसका अनुज्ञप्ति फार्म 6 में ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12(1) के अधीन लाइसेंस पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त था तथा इस संस्था के मालिक के तौर पर श्री

प्रवीर प्रकाश का निबंधन ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार से संवेदक के रूप में पंजीकरण था, जिसकी छायाप्रति संचिका में उपलब्ध था। आपूर्तिकर्ता के दो कम्प्युटर का सकल बिल वैट सहित रू. 207640.00 (क्रय मूल्य रू. 197760.00, प्रत्येक का रू. 98880/– एवं वैट 5 प्रतिशत के दर से रू. 9888.00) परन्तु आपूर्तिकर्ता/फर्म से प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही वैट सहित सकल भुगतान रू. 207640 किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता/फर्म के द्वारा प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र व आयकर संबंधी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में क्रमशः वैट की कटौती (5 प्रतिशत के दर रू. 9888.00) एवं आयकर की कटौती रू. 4467.00 (2.26 प्रतिशत के दर से) बिल से की जानी चाहिए थी परन्तु इसके विपरीत कर राशि उसे भुगतान किया गया था, जो कि अनियमित था। करों की कटौती नहीं किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता को रू 14355 (9888+ 4467)का अधिक भुगतान हुआ है।

पुनः बिहार वित्तीय नियम के नियम 131 P के अनुसार सफल निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता से परफॉमेंस सिक्युरिटि जो संविदा मूल्य का 05 से 10 प्रतिशत होगा, प्राप्त किया जाना चाहिए जो कार्य पूर्ण होने से 60 दिनों तक सामाग्री का वारंटी बाध्यता समाप्त होने पर आपूर्तिकर्ता को लौटाया जायेगा। परन्तु नगर पंचायत के द्वारा इन नियमों के विरूद्व बिना वारंटी कार्ड, तकनीकी विशिष्टियों व परफॉर्मेंस सिक्युरिटि प्राप्त किए उक्त आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया गया था।

अतः उपुर्यक्त वर्णित नियमों व उचित प्रक्रिया को अपनाये बिना दो सेट के कम्प्यूटर क्रय पर छिन्नमस्तिका कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 को कुल रू. 207640 का अनियमित किया गया।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि संबंधित बिक्रेता को फार्म सी–3 जमा करने हेतु निर्देश दिया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्यों की वर्ष 2011 से संबंधित क्रय का फार्म सी–3 वर्ष 2016 में जमा करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः अधिक भुगतान की राशि रू 14355 की वसूली जिम्मेवार व्यक्तियों से की जाय।

कंडिका– 8 असमायोजित (सामान्य) अग्रिम–रू. 3.32 लाख

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 611 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को विभागीय प्रयोजन के लिए अस्थायी अग्रिम दी जाती है एवं विहार कोषागार संहिता के नियम 699(इ) में स्पष्ट उल्लेख है कि अग्रिम राशि को अगले माह के अंत तक नगद या अभिश्रव के रूप में समायोजन हो जानी चाहिए तथा बिहार कोषागार संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रथम अग्रिम के समायोजन के पश्चात् ही दूसरा अग्रिम देने का प्रावधान है।

नगर पंचायत, मुरलीगंज बाढ राहत संबंधी संचिका व अग्रिम पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बाढ राहत हेतु लिए गए बकाया अग्रिम की स्थिति निम्नवत थी–

116

क0	अग्रिमधारी का नाम (सर्वश्री)	दिनांक 01.04.12 के अग्रिम	वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक का समायोजन हेतु नगद जमा		बकाया अग्रिम (31.03.15)
			दिनांक	राशि	
1	गणेश प्र0 यादव, टैक्स दरोगा	589500	25.09.12	230000	
			19.06.14	49000	
			20.06.14	49000	
			23.06.14	46000	
			26.06.14	40000	175500
2	शंकर कुमार, सहायक	156270			156270
	कुल योग	745770		414000	331770

उपर्युकत वर्णित बकाया अग्रिम राशि 331770 की वसूली/समायोजन संबंधित व्यक्तियों से वसूली किये जाने के संबंध में की गई कार्रवाई हेतु पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि श्री गणेश प्रसाद यादव, टैक्स दारोगा द्वारा रुपये 175500.00 दिनांक– 25.02.2016 को जमा कर दिया गया है एवं श्री शंकर कुमार, को रुपये 156270.00 जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया जायेगा। अतः श्री शंकर कुमार से रू 156270 की वसूली जाय।

कंडिका– 9 गृह कर की बकाया राशि रू 2.73 लाख की वसूली नहीं

नगर पंचायत मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के अंकेक्षण के दौरान कार्यालय नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा गृह कर वसूली से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक नगर पंचायत क्षेत्र में कितने भवन अवस्थित थे तथा उसमें से कितने भवनों पर किस दर से करारोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त भवनों का वर्गीकरण यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के साथ वे किस सड़क यथा मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, गली इत्यादि पर अवस्थित थे का विवरण तथा निर्माण के प्रकार के साथ कुल भवनों की संख्या का विवरण ज्ञात नहीं हो सका।

नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 31.03.2015 तक गृह कर के रूप में बकाया राशि **रू 273000** थी।

दिनांक 31.03.2015 को मॉग एवं वसूली की विवरणी								
		मॉग			वसूली			
क0	वार्षिक मॉग	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया
1	215000	678000	185000	863000			590000	273000

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिषिष्ट– VI पर)

अतएव उक्त गृह कर वसूली से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी संधारित कर अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय ताकि उक्त वांछित जानकारी प्राप्त किया जा सके।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 10 सरकारी भवनों से बकाया करों की वसूली नहीं राशि रू 02.10 लाख

कार्यालय नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा सरकारी भवन से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक नगर पंचायत क्षेत्र में कितने सरकारी भवन अवस्थित थे तथा उसमें से कितने भवनों पर किस दर से करारोपण किया गया था। इसके अतिरिक्त भवनों का वर्गीकरण यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि के साथ वे किस सड़क यथा मुख्य सड़क, प्रधान सड़क, गली इत्यादि पर अवस्थित थे का विवरण तथा निर्माण के प्रकार के साथ कुल भवनों की संख्या का विवरण ज्ञात नहीं हो सका।

नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी भवनों पर 31.03.2015 तक राशि **रू 210445** भवन कर के रुप मे बकाया था, जिसे वसूल किया जाय।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि सरकारी भवनों पर बकाया हेतु नोटिस दिया जायेगा। अतः जवाब के बकाया वसूली के लिए कार्रवाई की जाय।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– VII पर)

कंडिका– 11 राशि जमा नहीं रू 1.43 लाख

नगर पंचायत मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के होल्डींग रसीद के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि कि कर संग्रहकर्ता द्वारा संग्रह की गयी राशि से रू 143566 कम जमा किया गया था, जिसे कर संग्रहकर्ताओं से वसूल किया जाय।

विवरणी

रसीद सं0	तिथि / अवधि	संग्रह राशि	जमा राशि	कम जमा	लेखापरीक्षा अवधि में जमा	शुद्ध बकाया	कर संग्रहकर्ता	अभियुक्ति
201 से 300	10.04.12 से 22.04.12	19842	0	19842	0	19842	श्री शंकर कुमार साह	
773 से 800	अनु0	8194	0	8194	0	8194	श्री रविन्द्र कुमार साह	
401 से 500	1.03.13 से 10.08.13	67630	0	67630	0	67630	श्री गणेश प्रसाद यादव	
580 से 600	8.11.14 से 06.01.15	47900	0	47900	0	47900	श्री गणेश प्रसाद यादव	
			कुल	143566	0	143566		

114

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि श्री रविन्द्र कुमार साह द्वारा रु– 8194.00 का जमा लेखापरीक्षा को दिखा दिया गया। श्री गणेश प्रसाद यादव टैक्स दारोगा को रुपये 115530.00 एवं श्री शंकर कुमार, सहायक को रुपये 19842.00 जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया हैं।

पुनः दिनांक 29.02.2016 को श्री गणेश प्रसाद यादव द्वारा लेखापरीक्षा के अंतिम समय रू. 142161 का जमा रसीद (बैंक खाता सं.– 11634739392) प्रस्तुत किया गया जिसे लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

अतः संबंधित संग्रहकर्ताओं से रू. 143566 की वसूली की जाय अथवा उनके द्वारा जमा किये गये राशि का सत्यापन किया जाय।

कंडिका– 12 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय–रू.04.57 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 4 न से 1–103/87–1231/न वि वि0 दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है तथा इस पत्रांक के द्वारा साफ सफाई कार्य बाह्य स्रोत से कराये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए निविदा आमंत्रण करना आवश्यक है।

लेकिन नगर पंचायत, मुरलीगंज के वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखापाल रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि उपर्युक्त वर्णित दिशानिर्देश के विरूद्व इन वर्षों में इस कार्यालय के द्वारा दैनिक मजूदरी पर रू. 456709.00 का अनियमित भुगतान किया गया था, निम्न प्रकार से है–

क0सं0	चेक सं0/तिथि	राशि (रू.)
1	887694–887695/01.08.08	106808
2	942108/25.03.10	26719
3	562081–562082/22.10.12	11346
4	562134/16.07.13	18849
5	562172–562173/06.08.13, 22.08.13	29676
6	562174/20.08.13	14838
7	562175 एवं 562177/19.08.13	25675
8	84721/07.09.13	19866
9	562202–562203/21.01.14, 25.01.14	29171
10	562212–562213/11.02.14	84096
11	562224/14.02.14	8418
12	562278/26.08.14	33225
13	562274/04.09.14	19333
14	562273/19.09.14	19333
15	561003–561004/19.11.14	9356
कुल योग		**456709**

अतः सरकार के दिशानिर्देश के विरूद्व दैनिक मजदूरी पर वर्ष 2008–09 से 2014–15 में उपर्युक्त वर्णित कुल रू. 456709.00 का अप्राधिकृत व्यय करने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि विभाग से प्रत्राचार करके दैनिक मजदूरी पर व्यय राशि की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई किये जाने तक दैनिक मजदूरी पर व्यय की गयी राशि रू 456709 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अर्न्तगत रखा जाता है।

भाग– III (TAN)

कंडिका– 1 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तषेष को दर्ज किया जाना है। लेकिन नगर पंचायत मुरलीगंज के द्वारा अद्यतन अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में सभी अनुदानों के संबंध में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 का प्रारंभिक शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालांकि प्रस्तुत विभिन्न सहायक रोकड़ बहियों एवं लेखापाल रोकड. बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत कार्यालय को वर्ष 2008–09 से 2014–15 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी अनुदान **रू. 208299514** प्राप्त किया गया था।

(विस्तृत विवरणी संलग्न परिशिष्ट– VIII पर)

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे। साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितनी राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

अतः अनुदान पंजी का अद्यतन संधारण जिसमें अनुदानवार प्रारम्भिक शेष, वर्ष की प्राप्ति एवं व्यय तथा अंत शेष का विवरणी हो, किया जाय।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया कि सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नियमानुसार किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

कंडिका– 2 विविध रसीद प्रस्तुत नहीं

नगर पंचायत मुरलीगंज के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2014–15 के लेखापरीक्षा में निम्नांकित विविध रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये। इन रसीदों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

112

रसीद संख्या	निर्गत तिथि	संग्रहकर्ता	अभियुक्ति
001 से 100	19.04.2012	श्री गणेश प्रसाद यादव	
101 से 200	06.08.2012	श्री शंकर कुमार साह	
301 से 400	03.08.2014	श्री ललन कुमार	
401 से 500	03.08.2014	श्री गोपाल कुमार	

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि संबंधित रसीद अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कंडिका– 3 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।''

नगर पंचायत मुरलीगंज द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराया जाय ताकि यह पता चल सके कि नगर पंचायत द्वारा परिसम्पति पंजी का संधारण किया जा रहा हे या नहीं साथ ही साथ यह भी पता चल सके कि परिसम्पत्तियॉ से नगर निगम को कितनी आय प्राप्त हो रही है।

कार्यालय द्वारा उत्तर दिया कि परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जायेगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

–हस्ता0–
(नीरज कुमार, रवि कुमार)
स0ले0प0अ0
अनुमोदित
उपमहालेखाकार ––सह––
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना

परिशिष्ट–।

लेखा परीक्षा के दौरान जाँच किये गये अभिलेखों/पंजियों की सूचि

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग 1 के कंडिका 03 से संदर्भित)

1. लेखापाल रोकड बही।
2. दैनिक संग्रह पंजी।
3. विविध रसीदें।
4. गृहकर रसीदें।
5. सहायक रोकड़ बहियाँ।
6. योजना संचिका (आंशिक)
7. रसीदों के भण्डार पंजी।
8. योजना पंजी। बजट संचिका
9. बन्दोवस्ती संचिकाएँ।
10. क्रय संचिका (आंशिक)
11. होल्डींग कर समान्य एवं सरकारी भवन बकाया विवरण।
12. अभिश्रव (आंशिक)
13. बजट संचिका।
14. मोबाईल टावर बकाया सूची अभिलेख।

Ravi

परिशिष्ट–II

लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों/पंजियों की सूचि

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग 1 के कंडिका 03 से संदर्भित)

1. होल्डींग कर की माँग एवं वसूली पंजी।
2. भविष्यनिधि पास बुक।
3. वाद पंजी।
4. परिसम्पति पंजी।
5. ऋण पंजी।
6. गाडी एवं जेनरेटर लॉग बुक।
7. क्रय संचिका एवं निविदा संचिका।
8. भण्डार पंजी समाग्री का।
9. विपत्र पंजी।
10. बाढ राहत वितरण अभिश्रव।
11. वेतन पंजी।
12. कबीर अन्तयेष्टि अभिश्रव।
13. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं (आंशिक)
14. अनुदान पंजी ।
15. मदवार वार्षि आय–व्यय विवरणी।
16. नक्शा संबंधी पंजी / अभिलेख।
17. परिशिष्ट 1 में अंकित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज।

Ranjay

परिशिष्ट– III

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रोकड़बही के अनुसार आय–व्यय विवरणी।

(लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग 1 के कंडिका 14 से संदर्भित)

2008-09 A/C CASHBOOK

	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	2617369			**2008-09**	
APR		0		OB	2617369
MAY		1131201		REC	49451511
JUN		9266		TOTAL	52068880
JUL		5875		EXP	2962567
AUG		111527		CB	49106313
SEP		0			
OCT		0			
NOV		16698800			
DEC		542230			
JAN		27425030			
FEB		0			
MAR		3527582			
	TOTAL	49451511			

2009-10 A/C CASHBOOK

	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	49106313			**2009-10 A/C CASHBOOK**	
APR		12425		OB	49106313
MAY		0		REC	5982494
JUN		879346		TOTAL	55088807
JUL		5509		EXP	42920086
AUG		122919		CB	12168721
SEP		1297191			
OCT		35623			
NOV		113846			
DEC		821402			
JAN		355904			
FEB		408466			
MAR		1929863			
	TOTAL	5982494	0		

2010-11 A/C CASHBOOK

	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	12168721			**2010-11 A/C CASHBOOK**	
APR		26216		OB	12168721
MAY		16980		REC	2745495
JUN		267775		TOTAL	14914216

JUL		132586		EXP	5984206
AUG		44141		CB	8930010
SEP		500			
OCT		78146			
NOV		120230			
DEC		121361			
JAN		664234			
FEB		250			
MAR		1273076			
	TOTAL	2745495	0		

2011-12 A/C CASHBOOK					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	8930010			**2011-12 A/C CASHBOOK**	
APR		13943	32374	OB	8930010
MAY		26112	596363	REC	11519665
JUN		0	256634	TOTAL	20449675
JUL		14480	196308	EXP	7274660
AUG		0	4605972	CB	13175015
SEP		613160	116707		
OCT		0	1371	Diff. withCashBook	42731
NOV		0	0	Remarks - From Oct 2011 transation in treasury Passbook is not recorded in Cashbook except Salary.	
DEC		41202	85150		
JAN		29844	229324		
FEB		1346360	0		
MAR		9434564	1154457		
	TOTAL	11519665	7274660		

2012-13 TREASURY					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	10059626			**2012-13 TREASURY**	
APR		0	0	OB	10059626
MAY		0	405468	REC	11506858
JUN		704000	1792993	TOTAL	21566484
JUL		0	0	EXP	5656016
AUG		0	0	CB	15910468
SEP		1149000	0		
OCT		366000	646355		
NOV		0	0	Remarks-OB and Transactions are takenn from Trasury Passbook. No CashBook was	
DEC		0	383243		
JAN		0	121062		
FEB		0	892523		

1108

MAR		9287858	1414372	maintained for above Transactions.
	TOTAL	11506858	5656016	

2013-14 TREASURY					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	15910468			2013-14 TREASURY	
APR		0	0	OB	15910468
MAY		0	1159349	REC	9148128
JUN		0	406896	TOTAL	25058596
JUL		0	112198	EXP	5046209
AUG		0	241214	CB	20012387
SEP		0	1486847		
OCT		0	422905		
NOV		0	0	Remarks-OB and Transactions are taken from Trasury Passbook. No CashBook was maintained for above Transactions.	
DEC		0	0		
JAN		0	63600		
FEB		0	540210		
MAR		9148128	612990		
	TOTAL	9148128	5046209		

2014-15 TREASURY					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	20012387			2014-15 TREASURY	
APR		0	0	OB	20012387
MAY		0	915265	REC	15065786
JUN		0	0	TOTAL	35078173
JUL		0	641031	EXP	6045239
AUG		0	269770	CB	29032934
SEP		620912	1404844		
OCT		0	493286		
NOV		0	268436	Remarks-OB and Transactions are taken from Trasury Passbook. No CashBook was maintained for above Transactions.	
DEC		0	540936		
JAN		150000	595348		
FEB		378000	492899		
MAR		13916874	423424		
	TOTAL	15065786	6045239		

2012-13 A/C CASHBOOK BANK					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	3071557			2012-13 A/C CASHBOOK BANK	
APR		15144	217684	OB	3071557

MAY		472118	805610	REC	5728467
JUN		1858338	623121	TOTAL	8800024
JUL		24725	1657293	EXP	5445409
AUG		151418	249434	CB	3354615
SEP		247484	125100		
OCT		670157	813684		
NOV		5617	63949		
DEC		442944	461759		
JAN		12300	46043		
FEB		397523	380255		
MAR		1430699	1477		
	TOTAL	5728467	5445409		

2013-14 A/C CASHBOOK BANK					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	3354615			**2013-14 A/C CASHBOOK BANK**	
APR		200038	1307006	OB	3354615
MAY		1810383	1341380	REC	5715899
JUN		820095	6016	TOTAL	9070514
JUL		138837	667801	EXP	6286314
AUG		74866	459810	CB	2784200
SEP		533688	692594		
OCT		422905	534767		
NOV		0	30000		
DEC		53041	189611		
JAN		284352	235131		
FEB		734671	757637		
MAR		643023	64561		
	TOTAL	5715899	6286314		

2014-15 A/C CASHBOOK BANK					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE		
	2784200			**2014-15 A/C CASHBOOK BANK**	
APR		239271	631474	OB	2784200
MAY		1307775	743048	REC	6444194
JUN		49100	315119	TOTAL	9228394
JUL		641031	413786	EXP	7225719
AUG		973779	489831	CB	2002675
SEP		552842	2628483		
OCT		773286	323445		
NOV		0	235871		
DEC		505074	524769		
JAN		327275	361461		

FEB		322844	140184		
MAR		751917	418248		
	TOTAL	6444194	7225719		

2011-12					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE	13th FC	
	902516			**2011-12**	
APR		0	0	OB	902516
MAY		0	0	REC	1099411
JUN		0	0	TOTAL	2001927
JUL		1857	0	EXP	0
AUG		0	0	CB	2001927
SEP		0	0		
OCT		0	0		
NOV		0	0	SBI, MURLIGANJ- SB A/C- 11634739381	
DEC		10554	0		
JAN		0	0		
FEB		0	0		
MAR		1087000	0		
	TOTAL	1099411	0		

2012-13					
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE	13th FC	
01.04.12	2001927			**2012-13**	
APR		704000	0	OB	2001927
MAY		0	0	REC	723433
JUN		19433	0	TOTAL	2725360
JUL		0	0	EXP	0
AUG		0	0	CB(01-09-12)	2725360
SEP (06.09.12)		0	0		
				Note-Upto dt 06.09.12, Bank &Treasury transaction recorded with cash book.	
	TOTAL	723433	0		

2012-13				
	OB	RECEIPTS	EXPENDITURE	13th FC